



प्रो वेटनरी एण्ड फिजरीज टेस्ट (PV & FT) - 2017

व्यक्तिगत विवरण	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 21.03.2017	भरने की अंतिम तिथि : 04.04.2017
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 21.03.2017	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 09.04.2017
परीक्षा दिनांक व दिन	30-04-2017 रविवार
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	: - 700@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	: - 350@&
ऑनलाईन आवेदन – कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 70/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रु. देय होगा।	

परीक्षा निर्देश

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
30.04.2017 रविवार	अपरान्ह	दोपहर 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 3:00 से 5:00 तक (2:00 घंटे)

नियम

- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रनिक डिवाइस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- परीक्षा शुल्क - 700/- रु. (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये 350/- रु.)। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 09.04.2017 तक है।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्याइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी एमपीआनलाईन पोर्टल पर अपलोड करके परीक्षा शुल्क के साथ मंडल को सौंपना अनिवार्य है।
- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
पी.ई.बी. चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-02550498 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in
वेबसाइट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in

प्रो वेटनरी एण्ड फिजरीज टेस्ट (PV & FT) - 2017
fo"k &l ph

l - Øa	v/; k	fooj . k	i "B Ø-
1.	1	नानाजी दे'मुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम	3&9
2.	2	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत मत्स्य पालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम	10&16
3	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	17&30
4.	4	पाठ्यक्रम	31&34
5	5	आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	35&55
6.	ik i	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	56
7.	ik i	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन	57
8.	ik i	Predefined Template	58

v/; k &l

ukuk h n'sleq k i 'kpfdr k fo'kku fo'fo |ky;| t cyiq ds varxZ i 'kpfdr k , oa
i 'kiky egfo |ky;| kaeo"z2017-18 eaLukrd ikB; Øe eain'sk grqfu; e

- 1-0 **l kku; t kudkj h**:- ये नियम म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग के द्वारा एवं मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रकाशित पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. (PV&FT) प्रवेश नियम 2017-18 कहलायेंगे।
- 1.1 स्नातक डिग्री एवं अवधि : बी.व्ही.एससी., एण्ड ए.एच., पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े पांच (5½) वर्ष (इन्टर्नशिप सहित) है एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।
- 1.2 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें :
- 1.2.1 **chQgh, l l h | , .M , -, p- i k B; Øe** में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे, जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा की जावेगी।
- 1.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा संचालित (10+2) पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।
(अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान
तथा
(ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 1.2.3 वे प्रत्याशी जो म. प्र. में स्थित किसी भी पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं, उनको प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- 1.3 न्यूनतम अंक सीमा : **chQgh, l l h | , .M , -, p-** पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग के छात्रों को पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं। काउंसिलिंग कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात भी सीटें रिक्त होने पर पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत की शर्त को 33 प्रतिशत तक शिथिल करके प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु इसके लिए छात्र के 10+2 कक्षा में 50 प्रतिशत अंक (विज्ञान समूह) होना आवश्यक है। परन्तु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है।
- 1.4 पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण:

विवि/ महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)				अनु.जाति (एस.सी.)				अनु. जनजाति (एस.टी.)				अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)				योग				महा योग
	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	
जबलपुर	23	10	0	1	7	3	0	1	8	4	1	0	6	2	1	0	44	19	2	2	67
रीवा	23	10	0	1	7	3	1	0	8	4	0	1	6	3	0	0	44	20	1	2	67
महू	23	10	0	1	7	3	1	0	8	4	1	0	6	2	0	1	44	19	2	2	67
योग	69	30	0	3	21	9	2	1	24	12	2	1	18	7	1	1	132	58	5	6	201

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, X= इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ।

2.4.1. तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में 15 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश भारतीय पशुचिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जावेगा।

1-4-2- , u-vkj-vbz@vinkl h Hkjr h vH fFZ kds i zsk grq (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तारित जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mppcvv.org देखें) %

बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच उपाधि पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. के लिए आरक्षित रहेगी, जिसकी 'Kd jk'k 6000 vesjdu Mwj ifro"Zgksh (देखें नियम 1.16)। इन सीटों में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिनके पिता/माता अप्रवासी भारतीय हैं या अभ्यर्थी स्वयं अप्रवासी भारतीय हो। इन सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदक को 30 अगस्त, 2017 अथवा उसके पूर्व अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सारुथ सिविल लाईन्स, जबलपुर 482001 (म.प्र.), में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।

- 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा अथवा विदेश की समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना एवं विज्ञान समूह में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 - एन.आर.आई. प्रमाण-पत्र विदेश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन/कान्सुलेट अथवा कमीशन से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी के पिता/माता या अभ्यर्थी स्वयं उस देश के अप्रवासी भारतीय हैं।(प्रमाण-पत्र प्रारूप 15 में)
 - जन्मतिथि की सत्यापित प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी को 31 दिसंबर 2017 तक 17 वर्ष का होना अनिवार्य है।)
 - अप्रवासी भारतीय का पासपोर्ट एवं वीसा की सत्यापित प्रतिलिपि ।
 - अप्रवासी भारतीय का वर्तमान बैंक खाता की सत्यापित प्रतिलिपि (आवेदन के दिनांक तक)।
- समस्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा समस्त प्रमाण-पत्रों की पूर्ति न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा और किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
 - एन.आर.आई. कोटे में प्रवेश हेतु प्रवीण्य सूची 10+2 कक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी।
 - एन.आर.आई. कोटे के अंतर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु पर्याप्त विज्ञापन देने के पश्चात भी अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो रिक्त सीटों को फ्री सीटों में परिवर्तित कर दिया जावेगा। किंतु उक्त सीटों पर केवल पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा 2017-18 की प्रवीण्य एवं प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध छात्रों को ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

- 1.4.3 प्रवेश देने पर अभ्यर्थी के वांछित प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिये जायें तथा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जायेगा। मूल दस्तावेज अध्ययन पूर्ण करने, अथवा आबंटी द्वारा प्रवेशित सीट छोड़ने की स्थिति में ही लौटाये जायेंगे।
- 1.4.4 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालयों के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 1.5 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किए बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थिति रहता है तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।
- 1.6 **okLrfod fuokl h dh ik=rk; a** पाठ्यक्रमों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी।
1. जो भारत का नागरिक हो।
 2. (क) जिसने वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक पांच वर्ष की अवधि में म.प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार म.प्र. का वास्तविक निवासी हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 11 में)

- (1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 12 में)
- (2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाक-तार टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 2017 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक म.प्र. में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 13 में)
- (3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 14 में)

Li "Vhdj. k 1: म.प्र. का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी म.प्र. का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गयी दोनों शर्तों (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

vFlok

अभ्यर्थी स्वयं या उनके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि माता/पिता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्षों से म.प्र. में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा है अथवा मध्यप्रदेश में उनकी अचल संपत्ति हो।

, oa

(ब) उसने म.प्र. स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

vFlok

उसने म.प्र. स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

fVli . kh % मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप 11 के अनुसार) के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि, कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

Li "Vhdj. k&2 (अभिभावक) : किसी भी आवेदक के वैध अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हों। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

Li "Vhdj. k&3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व ही क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

1-7 vk ql hek % प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु 31 दिसम्बर 2017 को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

1-8 अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

1-9 vkj {k k %

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए क्रमशः 16, 20 एवं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ब) सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं में से किन्हीं दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों

(2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 16 में)

(स) सभी वर्गों के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत (प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में) आरक्षण रहेगा।

- (द) सभी वर्गों के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।
- (इ) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणियों के बिना वर्ग के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- (फ) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (व) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

1-10 i toh ; l ph ?kk"kr djus dh fof/k %

- 1.10.1 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षाओं के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा श्रेणीवार मेरिट सूचियां बनाई जावेगी।
- 2.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अन्तिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा। परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।
- (ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को अनारक्षित निरंक श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।
- 1.10.3 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा के मेरिट के आधार पर आवंटन पद्धति से किया जावेगा। सभी सीटों पर प्रवेश हेतु वि.वि. द्वारा गठित एक समिति के द्वारा काउन्सिलिंग की जावेगी।
- 1.10.4 महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समयावधि में ही किये जावेंगे। शैक्षणिक सत्र अगस्त /सितम्बर 2017 से प्रारम्भ होगा तथा प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30.09.2017 तक पूर्ण कर ली जावेगी। उसके पश्चात् प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

1.10.5 पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. 2017-18 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता : समान कुलांक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की वरियता का निर्धारण मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार प्रथमतः प्राणी विज्ञान+वनस्पति विज्ञान के अंकों की गणना को आधार माना जावेगा। यदि इसके उपरान्त भी समान अंक होंगे तब रसायन विज्ञान+भौतिक विज्ञान के अंको को आधार माना जावेगा।

1-11 **izk ki = ldk i n s k d s l e; i z r q h d j . k** आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्रवेश दी गयी संस्था में, प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। **i n s k** नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु म.प्र. शासन, पशु पालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उस निर्णय हेतु मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन पशु पालन विभाग को है। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

1.12 **fo' ofo | ky;** काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन काउन्सलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर **fo' ofo | ky;** की वेबसाइट **www.mppcvv.org** देखते रहें।

1.13 यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु शामिल होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।

1.14 यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउन्सलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

1.15 सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी। जमा की गई फीस किसी भी परिस्थिति में कॉशन मनी छोड़कर वापस नहीं होगी।

1-16 f'kkk 'k'd dh tkudkj % पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2017-18 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महु एवं रीवा में साढे पांच (5½) वर्षीय बी.व्ही.एस.सी. एंड ए.एच पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के छात्रों से निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा :

LkØ-	Q'k	dy 'k'd ¼ lk e½
1	प्रथम वर्ष	44438 / -
2	द्वितीय वर्ष	40310 / -
3	तृतीय वर्ष	40310 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	60460 / -
5	पंचम वर्ष	38910 / -

छात्रावास हेतु शुल्क

LkØ-	Q'k	dy 'k'd ¼ lk e½
1	प्रथम वर्ष	6410 / -
2	द्वितीय वर्ष	3400 / -
3	तृतीय वर्ष	3400 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	5100 / -
5	पंचम वर्ष	3400 / -

विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

, u vkj vkbZl lw

LkØ	Q'k	iFle l eLVj
1	प्रथम वर्ष	6000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 13438 / -
2	द्वितीय वर्ष	6000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 9310 / -
3	तृतीय वर्ष	6000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 9310 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	9000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 13960 / -
5	पंचम वर्ष	6000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 7910 / -

डालर केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। (नगद डालर स्वीकार नहीं की जाएगी)

Vhi & सभी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई शुल्क में से सुरक्षा निधि को छोड़कर शेष राशि वापिस नहीं की जावेगी।

प्रमुख सचिव,
पशुपालन विभाग
मध्यप्रदेश शासन

ukukt h ns'leq[k i 'kpfdrR k foKku fo'ofok |ky;] t cyiq ds vUrxZ eRL; foKku
egkfo |ky;] t cyiq eaLukrd iB; Øe eaiBsk grqfu; e%

2- l kkl; t kudkj h & ये नियम मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के द्वारा म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हेतु पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. प्रवेश नियम 2017-18 (PV&FT) प्रवेश नियम 2017-18 कहलायेंगे।

2-1 Lukrd fMxh , oavof/k %

मत्स्य विज्ञान स्नातक (B.F.Sc) पाठ्यक्रम की अवधि चार (4) वर्ष है एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।

2.2 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें :

2.2.1 मत्स्य विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे, जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा की जावेगी।

2.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा संचालित (10+2) पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

(अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान

तथा

(ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2.2.3 वे प्रत्याशी जो मध्यप्रदेश में स्थित मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं , उनको प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

2.3 न्यूनतम अंक सीमा : मत्स्य विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अनारक्षित वर्ग के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात भी सीटें रिक्त होने पर पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत की शर्त को 33 प्रतिशत तक शिथिल करके प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु इसके लिए छात्र के 10+2 कक्षा में 50 प्रतिशत अंक (विज्ञान समूह) होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है।

2.4 मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)			अनुसूचित जाति (एस.सी.)				अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)				अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)				योग				महायोग
	X	F	FF	X	F	FF	K	X	F	FF	K	X	F	FF	K	X	F	FF	K	
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर	10	4	1	4	1	0	0	4	2	0	0	3	1	0	0	21	8	1	0	30

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, X= इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग ।

2.4.1 , u-vkj-vbz@vink h Hkjr h vH fFZ ka ds izsk grq (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तारित जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mppcvv.org देखें):

मत्स्य पालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर. आई. के लिए आरक्षित रहेगी, जिसकी 'k d jk' k 6000 vesj du MWj ifro"K gksch hns ka fu; e 2-16' इन सीटों में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिनके पिता/माता अप्रवासी भारतीय है या अभ्यर्थी स्वयं अप्रवासी भारतीय हो। इन सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदक को 30 अगस्त, 2017 अथवा उसके पूर्व अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, साऊथ सिविल लाईन्स, जबलपुर 482001 (म.प्र.), में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।

1. 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा अथवा विदेश की समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना एवं विज्ञान समूह में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 2. एन.आर.आई. प्रमाण-पत्र विदेश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन/कान्सुलेट अथवा कमीशन से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी के पिता/माता या अभ्यर्थी स्वयं उस देश के अप्रवासी भारतीय हैं।(प्रमाण-पत्र प्रारूप 15 में)
 3. जन्मतिथि की सत्यापित प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी को 31 दिसंबर 2017 तक 17 वर्ष का होना अनिवार्य है।)
 4. अप्रवासी भारतीय का पासपोर्ट एवं वीसा की सत्यापित प्रतिलिपि ।
 5. अप्रवासी भारतीय का वर्तमान बैंक खाता की सत्यापित प्रतिलिपि (आवेदन के दिनांक तक)।
- समस्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा समस्त प्रमाण-पत्रों की पूर्ति न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा और किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
 - एन.आर.आई. कोटे में प्रवेश हेतु प्रवीण्य सूची 10+2 कक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी।
 - एन.आर.आई. कोटे के अन्तर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु विज्ञापन देने के पश्चात् भी अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो रिक्त सीटों को पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा 2017-18 की प्रवीण्य एवं प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध छात्रों को ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

- 2.4.2 प्रवेश देने पर अभ्यर्थी के वांछित प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिये जावेंगे तथा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जावेगा। मूल दस्तावेज अध्ययन पूर्ण करने अथवा छात्र द्वारा प्रवेशित सीट छोड़ने की स्थिति में ही लौटाये जावेंगे।
- 2.4.3 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थित रहता है तो उसकी आवंटित सीट के लिये सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेंगे।
- 2.6 **अभ्यर्थी का निवास** पाठ्यक्रम की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक पाँच वर्ष की अवधि मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो **अभ्यर्थी का निवास**

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो (प्रमाण पत्र **अभ्यर्थी का निवास**)

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संदर्भ में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (प्रमाण पत्र **अभ्यर्थी का निवास**)
2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी, 2017 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रहा हो। **अभ्यर्थी का निवास**
3. ऐसे व्यक्ति जो केन्द्र शासन या राज्य शासन की किसी भी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। **अभ्यर्थी का निवास**

अभ्यर्थी का निवास

1. मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।
- (अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

अथवा

अभ्यर्थी स्वयं या उसके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि माता/पिता दोनों जीवित न हों तो उसका वैद्य अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम 5 वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा है अथवा मध्यप्रदेश में उनकी अचल सम्पत्ति हो।

एवं

- (ब) उसने मध्यप्रदेश स्थिति किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी। उसने मध्यप्रदेश स्थिति मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं / दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

fVli . kh %

मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (4k i 11 ds vuđ kj) के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने की तिथि, कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

Li "Vhdj . k&2 (अभिभावक) % किसी भी आवेदक के वैद्य अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा अचल सम्पत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हों परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक मान जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

Li "Vhdj . k&3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) % यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम 5 वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैद्य दत्तक नामा होगा। दत्तक नामा तब तक वैद्य मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसी सम्पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग-1 अथवा गत 5 वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा किस ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व ही क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2-7 vk q l hek % प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु 31 दिसम्बर 2017 को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

2.8 अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2-9 vkj {k k %

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 16, 20 एवं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ब) सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं में से किन्ही दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र

के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों

- (2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 16 में)
- (स) सभी वर्गों के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत (प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में) आरक्षण रहेगा।
- (द) सभी वर्गों के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।
- (इ) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जाति के बिना वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणियों के बिना वर्ग के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- (फ) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (व) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

2-10 i koh ; l ph ?kk'kr djus dh fof/k %

2.10.1 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षाओं के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा श्रेणीवार मेरिट सूचियाँ बनाई जावेगी।

2.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत् उतना रिक्त माना जावेगा परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।

(ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को अनारक्षित निरंक श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

- 2.10.3 महाविद्यालय में प्रवेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा के मेरिट के आधार पर आवंटन पद्धति से किया जावेगा। सभी सीटों पर प्रवेश हेतु वि.वि. द्वारा गठित एक समिति के द्वारा काउन्सिलिंग की जावेगी।
- 2.10.4 महाविद्यालय में प्रवेश निर्धारित समयावधि में ही किये जावेंगे। शैक्षणिक सत्र अगस्त / सितम्बर 2017 से प्रारम्भ होगा तथा प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30.09.2017 तक पूर्ण कर ली जावेगी। उसके पश्चात् प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- 2.10.5 पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 2017-18 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता : समान कुलांक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की वरियता का निर्धारण मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार प्रथमतः प्राणी विज्ञान+वनस्पति विज्ञान के अंकों की गणना को आधार माना जावेगा। यदि इसके उपरान्त भी समान अंक होंगे तब रसायन विज्ञान+भौतिक विज्ञान के अंको को आधार माना जावेगा।
- 2.11 प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण : आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रवेश दी गई संस्था में प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा असत्य/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छिपाकर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटारे हेतु मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को हैं। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- 2.12 विश्वविद्यालय काउन्सिलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन काउन्सिलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.mppcvv.org** देखते रहें।
- 2.13 यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सिलिंग) हेतु शामिल होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।
- 2.14 यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउन्सिलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप

में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

2.15 सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी। जमा की गई फीस किसी भी परिस्थिति में कौशन मनी छोड़कर वापस नहीं होगी।

2.16 **f'k k 'k d dh t k d j h %** पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2017-18 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में चार वर्षीय बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के छात्रों को निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा :

Yh l W

Lk Ø-	Ø'kZ	i Fk l eLVj ¼ lk e½	f}rh l eLVj ¼ lk e½	dy 'k d ¼ lk e½
1	प्रथम वर्ष	39938* /-	4510 /-	44448 /-
2	द्वितीय वर्ष	20310 /-	20010 /-	40320 /-
3	तृतीय वर्ष	20310 /-	20010 /-	40320 /-
4	चतुर्थ वर्ष	19610 /-	20010 /-	39620 /-

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

छात्रावास हेतु शुल्क (उपलब्ध होने पर)

Lk Ø-	Ø'kZ	i Fk l eLVj ¼ lk e½	f}rh l eLVj ¼ lk e½	dy 'k d ¼ lk e½
1	प्रथम वर्ष	4710 /-	1710 /-	6420 /-
2	द्वितीय वर्ष	1700 /-	1700 /-	3400 /-
3	तृतीय वर्ष	1700 /-	1700 /-	3400 /-
4	चतुर्थ वर्ष	1700 /-	1700 /-	3400 /-

विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

, u v k j v k Z l W

Lk Ø	Ø'kZ	i Fk l eLVj	f}rh l eLVj
1	प्रथम वर्ष	6000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 8,938 /-*	रूपए 4510 /-
2	द्वितीय वर्ष	3000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 4810 /-	3000 अमेरिकन डॉलर + रु 4510 /-
3	तृतीय वर्ष	3000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 4810 /-	3000 अमेरिकन डॉलर + रु.4510 /-
4	चतुर्थ वर्ष	3000 अमेरिकन डॉलर + रूपए 4110 /-	3000 अमेरिकन डॉलर + रु. 4510 /-

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

डालर केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। (नगद डालर स्वीकार नहीं किये जायेंगे)

Vh i & सभी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई शुल्क में से सुरक्षा निधि को छोड़कर शेष राशि वापिस नहीं की जावेगी।

प्रमुख सचिव
मछली पालन विभाग
मध्यप्रदेश शासन भोपाल

[k M&v

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
vH fFkZ' kK.kd vgzkvkcdk HyhHkK v/; ; u mi jkR gh vksu i = HjA
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें परामर्श (काउन्सलिंग) की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति/प्रवेश पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3-3 ijhkk gky ea yst kus grqvko' ; d l lexh %

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु)
- (ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bZvk/kj ekk; ughagA

3-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 fyf[kr ijhkk eafu%kDrt u vH fFkZ kcds fy, mi yC/k l fo/kk ; %

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी

- (i) ; g l fo/kk fuEufyf[kr vH fFkZ kcds i nku dh t koxh %
1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
 2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(ii) **यसकु फ्यि द ¼ ग्क द ½ ध ल फो/क %**

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(iii) **वफ्रिज ड्र ले; ग्ग्'क %**

1. यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय चाहता है तो परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

उक & फलुqØ- 1-5 ध दMdk & (i) eamYsf[kr fu; e dks i wZdjus okys vH FHZ ; fn यसकु फ्यि द ¼ ग्क द ½; k वफ्रिज ड्र ले; प्ग्ग्'क % gh i hbZch dk kZ; dks mi jDr l e; kf/k ea vlonu dj l drsg

3-6 i nsk&i = i Hr djus dh i fØ; k %

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

उक & i nsk i = t kjh gkus ds mi jkr fdl h rjg dk =V l qkj ugha fd; k t k sk , oa fdl h Hh izlkj dh =V n'Vxkpj gkus ij i hbZch vWYkZi vlonu&i = dks jn@fujLr@ i fjoFrZ djus dk vf/kdkj l gf{kr j [krk g

3-7 ijh{k i nsk&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईंट पेन से) अंकित करना होगा।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.9 - [विशेषज्ञ] मूल्यांकन, ऑनलाइन; कक्षा; कक्षा

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई. बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

मूल्यांकन 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

मूल्यांकन 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

मूल्यांकन 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

3.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{M_i^g - M_q^g}{M_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\widehat{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\widehat{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाईजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिये पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

3.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 17-18 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
- बिन्दु क्रमांक 3.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

3.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घंड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज होगा ।

4. नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यू.एफ.एम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/ परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व प्रवेश के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3-12 ijhkk ifj. ke dk izdk ku %

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

3-13 ijhkk ifj. ke %

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-14 **परिणाम घोषित करने के लिए परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।**

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-15 **परिणाम घोषित करने के लिए परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।**

[k M&c

3-16 **vWylbz vlonu&i = dsl kfk l yXu fd; st kus okys nLrbot l dck foofj . k %**

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **ik i&19** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3-17 **vWylbz vlonu i = dsl kfk Qk/k, oagLrk/kj l yXu djust l xah funZk%**

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **ik i&19** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ **vlonu Hjus dh frfk** से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा **Qk/k, ij f[kpokus dh fnukd o vlond ds ule dk Li "V mYyd k gluk plfg; A** यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-18 **, e-ih vWylbz fd; k d dsek; e l s vlonu QkZHjus dh fof/k %**

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

- (ii) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा ।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें ।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा ।

3-19 वकीबु वलनु हिउसल रक एफुनक %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
 - (ii) वलनु दक वलनु i = ea 'kjij ds LFk; h fplg rFlk ij hkk ds le; i Zrq fd; s t kus okys QW/s igpku i = dk fooj.k rFlk Øekd vfuok; Z: i l s vfd; k t kuk gksA buds vHko ea vलनु i = Lohdkj ugh gksA
 - (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
 - (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
 - (v) वकीबु वलनु i = ea वलनु दक वीुक वक/क/क/क Øekd vfuok; Z% vfd; s t kus dk i to/ku j [kk gSA bl ds mi; k l s
1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टिलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
 3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्टि करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी ।
 4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया

है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।

5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरक्षित रखा जायेगा ।
6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।
7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3-20 **विवरण वलोकन = हजुस च् ओलफ्लक %**

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है ।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है ।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा ।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके ।

3-21 **विवरण वलोकन = हजुस ग्रन्कस फोडयि ग्रा%**

विवरण वलोकन = हजुस ग्रन्कस फोडयि ग्रा%

विवरण वलोकन = हजुस ग्रन्कस फोडयि ग्रा%

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **function@Instructions** तथा परीक्षा **function@Examination Rules** उपलब्ध होंगे ।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें

व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

¼½ØfMV@MfcV dKZ
¼½bWjuV cfdx

3-22 ØfMV@MfcV dKZdsek; e l s i j h k k 'k y d d k H x r k u %

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-23 bWjuV cfdx dsek; e l s i j h k k 'k y d d k H x r k u %

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-24

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3-25 fu/kZj r frffk eat ek fd, x, vWwykZi vlonu i = eal akku dh Q oLFk

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3-26 , d l svf/kd vWYkbZ vksu&i = Hjus l aak funZk %

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3-27 vWYkbZ vksu&i = dk fujLrhdj.k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3-28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3-29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3-30 ipk.kuk@ipew.kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात ipk.kuk@ipew.kdu का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3-31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3-32 vkosnu i = Hjus dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
21.03.2017	04.04.2017	15	21.03.2017	09.04.2017	20

3-33 vkuykbZ i jhkk dk foj . k

स.क्र.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	द्वितीय	30.04.2017	शनिवार	02 घंटे	दोपहर 3:00 से 5:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

3-34 (i) ijhkk 'kjd %

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01-	, d	700/-	350/-	350/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-

(ii) l akku fd; stkusij ns 'kjd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	, d	20/-	50/-

3-35 ijhkk 'kgj %

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

<u>ijhkk 'kgj</u>	
1. भोपाल	2. इन्दौर
3. जबलपुर	4. ग्वालियर

3-36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का **Normalisation** करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

v; k & 4 i k; Øe (SYLLABUS)

(A) Physics

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation between position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia. Newton's Laws of motion. Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature. Specific heats at constant volume and constant pressure. mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and Newton's law of cooling Periodic motion, Simple harmonic motion, Oscillations due to spring, Wave motion principle of superposition; Progressive and stationary waves, Beats and Doppler effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light. Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope "e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells. Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life,

Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi conductors, np Junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics. Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltages and currents. Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity. Biot Savart law.

Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid. Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic

field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

(B) Chemistry

General and Physical Chemistry

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals. Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) : hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance, Elements of VBT MOT.

Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed structure, ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids. Nuclear Chemistry: Radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating.

Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action: KP and KC: Le Chatelier principle and its application. Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.

Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work. Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

Inorganic Chemistry :

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds : Simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid-base titrimetry.

Organic Chemistry :

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives,

Brief account of the chemistry of Cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers : Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers. Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

(C) Botany

Structural organization of cell, cell theory. Light and Electron Microscopic view of cell. Structure and functions of cell organelles : Nucleus Mitochondria, Chloroplast Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, microbodies microfilaments Ribosomes, Centrioles and Plasmids, Eukaryotic Chromosome (Morphology) cell and plasma membrane, Difference between plant and animal cell. Division, cell cycle, significance of mitosis and meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohybrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material DNA replication, genetic code transcription, translation and gene regulation. Difference between Prokaryote and Eukaryotes : Structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, Cyanobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five Kingdom classification, Binomial Nomenclature, External morphology and life cycle of Spirogyra mucedo, Funaria Selaginella and Pinus.

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporogenesis. Fertilization, endosperm and embryo development in Angiosperms.

Tissues and tissue systems, meristematic and permanent tissue, Mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration: Importance, mechanism and factors affecting these processes: Photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action, importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - Structures and function, Major ecosystems i.e. lake and Forest; Food chain, Food web and energy flow, Ecological crisis- Role of man in polluting Environment - Air, Water and Soil.

Role of plants in human welfare: A general knowledge of plant products of economic value- Drugs, Fibers, Cereals.

Wheat and Rice, Pulse (gram), Oil seeds (Ground nut), Sugarcane, Coal and petroleum. Food preservation-methods and importance. Principle of plant breeding and its role in improvement of crops. Biotechnology; scope and importance in Agriculture and industrial manufacture of cheese. Yoghurt, Alcohol Antibiotics.

(D) Zoology

Multicellularity - Structure and Function of Animal Life :

Structure and function of Animal tissues Epithelial, Connective Muscular, Skeletal and Nerve. Histology of mammalian organs - Stomach, Intestine, Liver, Kidney, Lung, Testes and Ovary. Structure and Physiology of different organ systems of Human body. Skin, Digestive system, Respiratory system, Circulatory system.

Skeleton, Joints, Muscles on the basis of movement receptors. Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and hormonal coordination. Vitamins & minerals (source and disorders due to deficiencies).

Developmental Biology and Genetics:

Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, Fertilization, cleavage types of cleavage and blastula. Development of mammals upto three germinal layers. Foetal membranestructure and functions. Growth, repair and ageing, aminocentesis. - Chromosomes, Types of chromosome, Human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormonal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination, Sex linkage and sex linked inheritance in Man.

Blood Group and their significance, Blood Bank.

Tissue culture, Genetic Engineering (Brief idea). Mutation, gene mutation.

Human population, natality, Mortality, Sex ratio, Population explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing, health and standard of living, impact of population problems and their control.

Taxonomy Evolution and Economic Zoology:

Classification - Binomial and trinomial nomenclature, Basic features of classification, Classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples. Origin of life, Theories of organic evolution-Darwin Lamarck, Synthetic Evidence of organic evolution, Human Evolution. Economic Zoology/Sericulture, Apiculture, Lac culture, Poultry, Fishery and Pearl industry. Protozoan disease in relation to man. Insect carrying diseases in relation to man. Cancer-types of cancer and cancer cell. Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune Response, Vaccines and antisera allergies. Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control. Wild conservation.

iek&i=| vfhys|hadh LØWuh| dkm fyæ| vlo'u l ækh i i =
 ½mEhmokj } kjk Hjk t los½

में घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश पी.व्ही. एण्ड एफ.टी.प्रवेश परीक्षा 2017-18 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये है । तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रही हूं ।

LØWuh में भाग लेने के लिये आज दिनांकको निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जायें। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय-

1. पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2017-18 का रोल नं. : -----
2. मेरिट सूची क्रमांक : -----
3. पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा मे प्राप्तांक : -----
4. पूरा नाम : -----
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता:-----VfyQku@eklbZ

u-

- 6.1 श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति : -----
 /अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6.2 संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्राता संग्राम सैनानी, विकलांग, ओपन): -----
7. मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत किये है उनके सामने सही () का चिन्ह लगायें (स्कूटनी समिति सदस्य द्वारा)

1. पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2017-18 की मूल अंक सूची।
2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची ।
3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

Book No.	Disp.No.	Date	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची । **DD MM YYYY**
5. चरित्र प्रमाण पत्र ।
6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप सर्टिफिकेट ।

7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र

No.	Dt.of issue.	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. आत्म सस्था में अध्ययनरत रहन का टा.सा., प्रमाण पत्र
9. वित्तीय वर्ष-16-17 (01/04/16 से 31/03/2017 तक) आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में । (प्रारूप-09-अ एवं 09-ब)
10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित । (यदि लागू हो तो)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक पूरा नाम

LØWuh ¼ ve t kp½l fefr } kjk Hjk t los

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों 01 Is 10 की पूर्णतः जांच की। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को उपर उल्लेखित किया गया है।

l nL; LØWuh l fefr
½uke]i nuke] gLrk[kj] fnukd½

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्रों एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणोंसे काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

v/; {k LØWuh l fefr
gLrk[kj] fnukd] uke , oainuke

'ki Fk i =

मैं/आत्मज/आत्मजा श्रीउम्र.....निवासी.....आज
दिनांकको शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये
निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन
करूंगा/करूंगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक दिनांक
नाम पूरा नाम
पूरा पता पता
टेलिफोन/मोबाईल न.

2. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक
नाम.....
पूरा पता.....

DECLARATION FORM

**(To be submitted by candidate in the college at the time of admission
FOR**

DECLARATION FORM

(To be submitted candidate in the college at the time of admission
FOR

Allotment of Seat in Veterinary/Fishery College

I.....

S/o,D/o,.....Resident of

.....Bearing Roll No.

..... have been placed at Rank Number..... in the

Madhya Pradesh Pre Veterinary & Fishery Test 2017–18 and I had opted a Seat at
College _____ Course
_____ in the allotment, and have taken admission there on
dated _____

Signature of the Candidate

Name _____

Rank No. _____

e/; i n s k e / e /; i n s k d s c k j v U; j k l; e a d k 7 r i f r j { k d e p j h

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है।

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है. वे इस इकाई में दिनांक..... से सेवारत है।

अथवा

ब- उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

Hkx 1/2

LFk h vud for t kfr@vud for t ut kfr iek ki=

dk k; | vufHkxh vf/kdkjh 1/2 ek kcj. k/2

अनुभागजिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांकप्रकरण क्रमांक

t kfr iek ki=

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामनिवासी ग्राम/नगरवि.खं.तहसील जिला संभागजाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम/सील

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रा के आधार पर।

Hkx 1/2

e-iz dh vU fi NMsoxZ10ehys j dks NkMdj 1/2 Js kh ds vj f{kr LFkuk ij izsk ds fy; s
iZrq fd; st kus okys izk ki = dk ik iA

LFkbZ izk ki =

dk k;] vufokh vf/kdjh 1/2 izk ki =

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) आत्मज श्री..... निवासी/ग्राम.....जिला/संभाग मध्यप्रदेश के निवासी है जोजाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री(पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिलासंभागमें निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्रा क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ.प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम(सील)

Lorark l xk l skuh l oxZgrqizk ki =

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार.....श्री(पिता)
.....एवं श्रीमती (माता)..... के पुत्र /पुत्री है।
श्री/श्रीमती.....स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्री.....
.....के/की वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

2- श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम)
का नाम मध्यप्रदेश के जिला..... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता
संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान-----

हस्ताक्षर : कलेक्टर

दिनांक-----

(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

LFkuk fuokl h i z k k & i = i k r d j u s d s f y ; s v k o n u & i = d k i k i

प्रति,

नायब तहसीलदार / तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

विषय:- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय / महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है । मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें ।

1- मेरा नाम : _____

2- पिता / पति का नाम : _____

3- जन्मतिथि : _____

4- निवास का पूरा पता : मकान नं०.....मोहल्ला.....

ग्राम / शहर का नाम.....

तहसील.....जिला.....

*5- मेरी पत्नी का विवरण : नाम.....आयु.....वर्ष.....

*6- मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्रियों का विवरण : (1)नाम.....पुत्र / पुत्री, आयु.....वर्ष..

: (2)नाम.....पुत्र / पुत्री, आयु.....वर्ष..

: (3)नाम.....पुत्र / पुत्री, आयु.....वर्ष..

संलग्न:- शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर-----

आवेदक का नाम (-----)

* लागू न होने की स्थिति में काट दें / वर्णित न करें

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार, टप्पा / तहसील.....जिला.....

पावती

श्री / श्रीमती.....के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक..... को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मय सील

LEkuk; fuokl h iek k&i =

i k Ik&7

'ki Fl&i =

मैं.....आत्मज/पति श्री.....

आयु (लगभग) वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि –

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ ।
- *2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती.....एवं उम्र (लगभग).....वर्ष है ।
- *3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री – (1)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष ।
(2)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष ।
(3)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष ।
4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
*(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं.....मोहल्ला.....ग्राम.....तहसील..... जिला..... में वर्ष..... में पैदा हुआ/हुई हूँ । मैंने संस्था..... ग्राम/शहर..... तहसील.....जिला..... में वर्ष..... से वर्ष.....तक शिक्षा प्राप्त की है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (i) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाये । मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)

* (2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....जिला..... .. में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)

* (3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील..... जिला..... में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे नं0..... रकबा..... भू-खण्ड/मकान है । मैंउद्योग/व्यवसाय करता हूँ । मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर..... है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पति धारित करता हो/उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो)

* (4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम..... कार्यालय का नाम.....
.....विभाग का नाम.....के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार)

* (5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापितनामक
संस्था/निगम/मण्डल/आयोग मेंपद पर/से.....
कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं उसका पूर्ण विवरण दें)

* (6) मैं केन्द्र शासन के विभाग..... में के पद पर
.....कार्यालय.....तहसील.....जिला..... के पद पर वर्षसे पदस्थ
होकर कार्यरत हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

* (7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष.....)
अधिकारी हूँ ।पद पर.....कार्यालय/मंत्रालय..... में
पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम)

* (8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद..... (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम
राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाए)

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

I R ki u

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....
वर्ष, निवासी..... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथपत्र की कंडिका.....लगायत.....
..... में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई तथ्य
छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है ।

सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान..... में किया गया ।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

*जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 टप्पा/तहसील जिला

प्र.क. /बी-121/ वर्ष दिनांक

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट
 साईज का फोटो लगाया
 जाए जो प्राधिकृत अधिकारी
 द्वारा सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति
 निवासी तहसील जिला(मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा
 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक
 में निर्धारित मापदण्ड की कसिका क्रमांक की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय
 निवासी है ।

*2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक
 दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी* /अवयस्क बच्चे*
 जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम.....आयु.....वर्ष है ।
 (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री(1).....आयु.....वर्ष
 (2).....आयु.....वर्ष
 (3).....आयु.....वर्ष
 (4).....आयु.....वर्ष

टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य
 हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह0 तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 तहसील.....
 जिला.....

* जो लागू न हो काट दें ।

vk iek k&i = ikr djus dsfy; s vlonu&i =

प्रति,

तहसीलदार/ नायब तहसीलदार,

.....
.....

विषय:- आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- मेरा नाम :-.....
- 2- पिता/पति का नाम :-.....
- 3- निवास का पूरा पता :-.....
.....

- 4- संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त
स्रोतों से मेरी/मेरे परिवार' की वार्षिक आय:-.....

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय
दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम ()

(*परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं ।)

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार टप्पा/तहसील.....
जिला.....

ikrh

श्री/श्रीमती..... के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक.....
को प्राप्त हुआ ।हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

dk k; rgl hynkj@ uk c rgl hynkj

टप्पा / तहसील.....जिला.....

प्र.क. / बी-121 / वर्ष.....

दिनांक.....

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कु०.....

पिता / पति..... निवासी..... तहसील.....

जिला..... मध्यप्रदेश, की / के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये.....

(शब्दों में.....) है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

rgl hynkj@uk c rgl hynkj

rgl hy-----ft yk-----

l hy

okLrfod fuok h l aak vko'; drk grqiek k&i =

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल,
भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार
पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित
छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था.....(संस्था का नाम) में
सत्र.....से सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान :

दिनांक:

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

okLrfod fuokl h i z k k i =

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो तहसील.....

जिलामध्यप्रदेश का निवास है, क्योंकि वह—

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है।

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

bl ds vfrfj Dr

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित, परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

fVli . kh % जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

okLrfod fuokl h l aakh vko'; drk grqizæk ki =

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है।

क- जो..... विभाग में..... पद पर..... (तिथि)से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

ख- जो..... विभाग में..... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो..... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

ग- जो..... विभाग में..... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए..... (तिथि) को हो गई थी।

घ- जो..... विभाग में..... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान ----- कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक-----

(कार्यालय सील)

ik i & 13

okLrfod fuokl l aakh vko'; drk grqi æk ki =

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है जो दिनांक 1 जनवरी 2017 को अथवा उसके पूर्व की तिथि..... से मध्यप्रदेश में स्थित विभाग में..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान

कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

ik i & 14

e;/ in'sk ea iqD oLFki u l aakh i æk ki =

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है, यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

स्थान

हस्ताक्षर : कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

FORMAT FOR LETTER FROM EMBASSY

(In the letter head of the Embassy Office)

NRI Certificate of the candidate/ parents

No.

Dated:

CERTIFICATE

This is to certify that..... holder of Indian passport

No.....dated..... issued

at.....(place of issue) is residing in this

country since..... He /She is a Non –Resident Indian.

(Signature, Designation & Seal of the issuing authority)

ik i & dk 7r fdl ku dk iekki=

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक / /

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम
के माता/पिता/श्रीमती/श्री वास्तविक, कार्यरत स्थाई किसान हैं

उनके पास हेक्टेयर गांव0
तहसील जिला राज्य मध्यप्रदेश में है।

वे कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा वे खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है।

तहसीलदार

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम

.....ने पांचवी, आठवी, दसवी एवं बारहवीं कक्षाओं में से निम्न दो कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न दो परीक्षायें: ग्रामीण क्षेत्र के निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की हैं।

शाला का नाम एवं स्थान/परीक्षा केन्द्रों का नाम (कोई दो)

1. पांचवी कक्षा(प्राथमिक)
2. आठवीं कक्षा(माध्यमिक)
3. दसवीं कक्षा(मैट्रिक/हाई स्कूल)
4. बारहवीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान.....

दिनांक.....

तहसीलदार/विकासखंड अधिकारी

(देखें नियम 3.9 एवं 3.10)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का

नाम.....

स्थान

दिनांक

(देखें नियम 3.9 एवं 3.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिप्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than one signature should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठीया पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

